

24.01.2023 प्रत्यक्षी तपक की गई।
 वकील प्रामाणिक उपस्थित। विपक्षी
 प्रत्यक्षी के वकील उपस्थित। युक्ति
 मूलवाद का निरलाप हो गया है।
 ऐसी रूरत में आवेदन-पत्र को आगे
 चलाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता
 है। न्यायालय द्वारा जारी एजगट आदेश
 दिनांक 21.11.22 को निरस्त कर, आवेदन
 को इली स्टेज पर खारिज किया
 जाता है।

प्रत्यक्षी प्रमोद कुमार होम वालिस
 दफतर में।

12/01/23

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी
 यशज
 चारु

24/01/23

प्रमोद कुमार

Prakash Kumar
 me
 R-5/2022

